

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।  
पत्रांक: 1883 / 14-1 आगरा : दिनांक : 17, अक्टूबर, 2017

सेवा में,

मण्डलीय अभियन्ता,  
टेलीकॉम प्रोजेक्ट-1  
बी0एस0एन0एल0  
टैक्स भवन, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में भारत संचार निगम लि0 द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग के कि0मी0 33.680 से 35.300 फिरोजाबाद रोड क्रोसिंग तक मार्ग के किनारे आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.0729 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का पत्रांक-1379/14-1 दिनांक 18.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का तत्काल निस्तारण कर अनुपालन आख्या प्रेषित करें ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)  
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1883 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)  
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Received original  
proposal form

By  
SDECTP  
AS.

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।  
पत्रांक 1379 / 14-1, आगरा, दिनांक, 18, सितम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
आगरा।

विषय :-

जनपद आगरा में भारत संचार निगम लि0 द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग के किमी0 33.680 से 35.300 फिरोजाबाद रोड़ कासिंग तक मार्ग के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.0729 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।  
आपके कार्यालय का पत्रांक 923/14-1 दिनांक 26.08.2017 एवं इस कार्यालय के पृष्ठांकन पत्रांक 95/14-1 दिनांक 19.07.2017


संदर्भ :-

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 08.09.2017 को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह विदित होता है कि प्रस्ताव को प्रेषित करते समय आपके कार्यालय द्वारा भली भौति परीक्षण नहीं किया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है। अतः प्रस्ताव में सूचनाएं/अभिलेख अपूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्नवत है :-

- 1- प्रस्ताव की चैक लिस्ट/विषय सूची भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र भाग-1 से प्रारम्भ की गई जो टीक है, परन्तु पार्ट-II, III, IV आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है। पार्ट-I के बाद क्रमशः पार्ट-II, III, IV आदि को सम्मिलित करने के उपरान्त चैक लिस्ट के अनुसार संलग्नक अभिलेखों के अनुसार तैयार की जाय।
- 2- संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र पर संयुक्त निरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने वालों के, कार्यालय की मुहर अंकित नहीं की गई है।
- 3- एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक के कार्यालय की मुहर अंकित नहीं है।
- 4- प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 16, 17, 19, 21, 23, 26 एवं 27 पर प्रयोक्ता अभिकरण के कार्यालय की मुहर अंकित नहीं है।
- 5- प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र "प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भौति परीक्षण कर लिया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख/सूचनाएं संलग्न हैं" संलग्नक नहीं है।
- 6- उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित कर तदनुसार विषय सूची को ठीक करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश, जो इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किए गए हैं, उसको भी संज्ञान में लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु मूल में (04 पत्रावलियों) संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर संशोधित प्रस्ताव की सूचनाओं को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

  
20/9

कार्यालय वन संरक्षक  
2406  
141  
दिनांक 20-9-17

भवदीय,  
18/9  
(रमेश कुमार पाण्डेय)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / 2-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मण्डलीय अभियन्ता, टेलीकॉम प्रोजेक्ट-1, बी0एस0एन0एल0, टैक्स भवन, आगरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित उक्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(रमेश कुमार पाण्डेय)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।